

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

चुनाव अत्यावश्यक

क्रमांक-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 7.12.2020

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 11 जिलों (अलवर, बारा, धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, सिरौही) के 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव नवम्बर - दिसम्बर, 2020 (प्रति संलग्न है) दिनांक 11-12-2020 (शुक्रवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in. Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10743

दिनांक : 07/12/2020

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) अलवर, बारा, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरौही और श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव